

प्रतिरिक्त परिव्यय के लिए की जाएगी, जिसका उद्देश्य कुछ नुनी हुई निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति को तेज करना और सिंचाई विकास की गति को तेज करने के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करना है।

प्रतिरिक्त परिव्यय का राज्यवार ब्योरा सलमन विवरण में दिया गया है। जो सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एन टी-1135/77] इस विवरण में बिहार की स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

कुछ राज्यों में प्रस्ताव में कुछ वृद्धियाँ/परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं और उनकी जाच की जा रही है।

Famine in Gujarat

1052 SHRI PRASANNBHAI MEHTA Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether State of Gujarat has been facing acute famine this year,

(b) whether the main cause is that there were less rains this year,

(c) if so, steps being taken by the Union Government to help the State Government, and

(d) quantum of foodgrains supplied to the State from August, 1977 to November, 1977 and how much is likely to be supplied to the State upto the end of this current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) and (b) Government of Gujarat have not reported any famine condition. They have also not reported any drought condition 2500 LS-4

On the other hand they reported floods and heavy rains between the last week of June and 1st week of August, 1977

(c) The Government of India have allocated to the Government of Gujarat an Advance Plan Assistance of Rs. 10.43 crores for meeting the expenditure necessitated by floods during 1977-78

(d) The supply of foodgrains to the Government of Gujarat from the Central Pool during August-October 1977 is as under —

| (in 000 tonnes) | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Wheat | Milo | |
| For public distribution | For Roller flour Mills | For Public distribution |
| 30.5 | 20.3 | 44.8 |

Government have allotted 15,000 tonnes of wheat for Public Distribution and 16,500 tonnes of wheat to the Roller Flour Mills during the month of November, 1977. Supplies of Foodgrains to be made upto the end of current year would depend on the actual requirements of the State Government which are worked out by the State Government on a monthly basis, keeping in view the market availability and other relevant factors. It is, therefore, not possible to anticipate the quantum of foodgrains which would be supplied to the State Government upto the end of the current year.

सका पीडित आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में सरकार की गई योजनाएँ

1053 श्री रामसाह राठी क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि .

(क) सरकार ने चालू वर्ष में सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है ,

(ब) क्या उक्त योजनाओं सूखा पीड़ित भादिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में प्रारम्भ की जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र का सबक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये जिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना जो उपलब्ध है, को यथानिवाला एक विवरण सभा-घटन पर रखा जाता है। इसके अलावा और सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-घटन पर रख दी जाएगी।

विवरण

1. ग्राम विकास विभाग

अ भादिवासी विकास एजेंसी योजना

(सभी आकड़े लाखों में)

| | |
|---|-------|
| (क) 1. जिला श्री काकुलम (आन्ध्र प्रदेश) | 7.25 |
| 2. जिला सिंहभूम (बिहार) | 1.60 |
| 3. जिला गजम (उड़ीसा) (पारलाखीमुदी) | 8.00 |
| 4. जिला कोरापुट (उड़ीसा) (रैया- गादा) | 10.60 |
| 5. जिला स्पोकट (उड़ीसा) | 6.00 |

| | |
|---|--------------|
| 6. जिला कुलबेनी (उड़ीसा) (बाली- गुदा) | 9.00 |
| 7. जिला बस्तर दंत- वाड़ा (मध्य प्रदेश) | 4.97 |
| 8. जिला बस्तर (कोटा) (मध्य प्रदेश) | 0.60 |
| कुल | 48.02 |

(ख) जी हा, उन्हें पहले ही इन भादिवासी क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ग) जी हा।

(घ) उत्तर प्रदेश में भादिवासी विकास क्षेत्र परियोजनाओं का कोई कार्यक्रम नहीं है।

विवरण

ब. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम योजना

(क) से (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड.सा राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि नीचे दी गई है —

| | |
|---------------------|---------------|
| | (लाख रु० में) |
| सूचि सिंचाई योजनाएँ | 2731.08 |
| मध्यम सिंचाई | 1100.00 |

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा सूचि सिंचाई कार्यों को अन्तर्गत आधार पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यम सिंचाई

कार्यों को अनुमोदित उच्चतम सीमा तक वार्षिक सहायता शत प्रतिशत अनुदान आधार पर दी जाएगी। योजनाओं को परियोजनाओं के लागत लाभ अनुपात तथा अन्य लाभों का उचित मूल्यांकन करने के पश्चात् ही अनुमोदित किया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों वाले जिलों, जिनमें लखी सिराई योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा मिर्जापुर हैं।

उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित मध्यम सिंचाई योजनाएँ भी स्वीकार की गई हैं —

| मिर्जापुर | (लाख ६० में) |
|-------------------|--------------|
| 1 बाबुर मरीहान | 94 72 |
| 2 डोका पम्प नहर | 75 00 |
| बांदा | |
| 1 बरदोहा पम्प नहर | 126.50 |

चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा 100 लाख रुपए की धनराशि बटित की गई है।

बिबरण

2 कृषि विभाग (लखी सिराई प्रभाग)

(क) से (घ) राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता समग्र वार्षिक योजना के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और विकास के किसी शीर्ष या विशेष योजना से संबंधित नहीं है। विभिन्न योजनाओं तथा क्षेत्रों के लिए धनराशि का आवंटन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है। चालू वर्ष के दौरान लखी सिराई योजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय 197 18 करोड़ रुपए है।

Payment for fully developed plots in D.D.A

1054 SHRI RAM NARESH KUSHWAHA Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether a sum of Rs 4000/- per plot was got deposited for the allotment of fully developed plots of 70 Sq yards each under the scheme announced by the Delhi Development Authority and whether those plots have not so far been developed, and

(b) whether Rs 2000/- (50 per cent of Rs 4000) which was to be paid later a sum of Rs 2200/- was realised?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) The Delhi Development Authority's original scheme as advertised envisaged payment of a total amount Rs 4000/- for a plot of 70 sq meters in two instalments of Rs 2,000/- each, but later, this total amount was raised to Rs 4200/-

4186 plots of 70 sq meters were developed and allotted under the Ghonda and Loni Road schemes. Further work in the Ghonda Scheme is in progress but on Loni Road Scheme this has been stopped owing to a stay order from the High Court.

(b) Yes Sir

Sanction of Major Irrigation Schemes in Andhra Pradesh

1055 SHRI G S REDDI Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) the number of major irrigation works in Andhra Pradesh which still await sanction of the Central Government and their expected benefits, and